

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2021—पौष 11, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गोविंदराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 28 नवम्बर 2020

क्रमांक/6495/एफ-11/06/2020/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (उन्नीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 4952/एफ-11/06/2020/14-2, दिनांक 13-08-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा, कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में तुलैया तथा हमालों द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु, कार्यवार न्यूनतम पारिश्रमिक दर निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

क्र. (1)	कार्य (2)	दर प्रति क्विंटल (रु. में) (3)
1.	अनलोडिंग	2.62
2.	ढेर लगाना	1.25
3.	बोरा भराई	2.50
4.	तौल	2.50
5.	सिलाई	1.25
6.	थप्पी/लेबलिंग	2.37
7.	लोडिंग	4.62

ये दरें दिनांक 01-11-2020 से 31-03-2021 तक के लिए प्रभावशील होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर 28 नवम्बर 2020

क्रमांक/6495/एफ-11/06/2020/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/6495/रायपुर दिनांक 28-11-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar the 28th November 2020

No./6495/F-11/06/2020/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (xix) of sub-section (2) of Section 17 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, making partial amendment of this Departmental Notification No. 4952/F-11/06/2020/14-2, dated 13-08-2020, hereby, determines the work-wise minimum wages rate for the work done by weighman and Hammal in the market yard/sub-market yard of Agricultural Produce Market Committees, as follows :—

No. (1)	Work (2)	Rate per quintal (Rs.) (3)
1.	unloading	2.62
2.	Heap Up	1.25
3.	begging	2.50

(1)	(2)	(3)
4.	weighing	2.50
5.	stitching	1.25
6.	stacking/labelling	2.37
7.	loading	4.62

These rates shall be effective from 01-11-2020 to 31-03-2021.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 22 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 6-32/2020/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित राज्य कर निरीक्षकों को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, राज्य कर अधिकारी के पद पर, (वेतन बैंड रुपये 9300-34800+ग्रेड वेतन रुपये 4300) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 09 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुए उन्हें, नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	राज्य कर निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री पी. एक्का	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त, महासमुंद.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त, महासमुंद.
2.	श्री खिलावन देवांगन	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त, महासमुंद.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त, महासमुंद.
3.	श्री नरेन्द्र भारती गोस्वामी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-08, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-05, रायपुर.
4.	श्री सजल कुमार शुक्ला	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-05, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-04, दुर्ग.
5.	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त, अंबिकापुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-दो, बिलासपुर.
6.	श्री मनोज कुमार	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त, कोरिया.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त कोरिया.
7.	श्री अभिषेक गुप्ता	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग, वृत्त-04, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-02, दुर्ग.
8.	श्री रवि कुमार	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-08, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	सुश्री हेमा श्रीवास्तव	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-08, रायपुर.
10.	सुश्री अनुजा चतुर्वेदी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-04, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-05, रायपुर.
11.	श्रीमती तरन्नुम अली	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-08, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-04, रायपुर.
12.	श्रीमती नेहा अग्रवाल	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-02, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-04, दुर्ग.
13.	श्रीमती प्रीति मिश्रा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जांजगीर-चांपा वृत्त	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जांजगीर-चांपा वृत्त.
14.	श्री अश्वनी कुमार रात्रे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कवर्धा वृत्त, कवर्धा.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कवर्धा वृत्त, कवर्धा.
15.	श्री पुंगव कुमार चंद्राकर	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-07, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-09, रायपुर.
16.	श्री कौशलेन्द्र तिवारी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-01, कोरबा.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-02, कोरबा.
17.	श्री नरेन्द्र कुमार राय	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-01, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन), बिलासपुर.
18.	श्री अतुल मिंज	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-01, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-02, रायपुर.
19.	श्री मुकेश छविन्द्र	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-03, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त.
20.	श्री प्रवीण कुमार	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-06, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-04, रायपुर.
21.	श्रीमती बबीता भूआर्य	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-01, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-02, रायपुर.
22.	श्रीमती निशा ओगरे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-02, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-01, रायपुर.
23.	सुश्री अंजु खुटे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-05, रायपुर.
24.	श्रीमती वत्सला राणा (भेड़िया)	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-01, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-02, दुर्ग.

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	सुश्री नीलम खलखो	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त.
26.	श्री परमेश्वर प्रसाद बघेल	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रवर्तन) रायपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रवर्तन) रायपुर.
27.	श्री धनंजय कुमार तिवारी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-03, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-01, बिलासपुर.
28.	श्री डैहर लाल साहू	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-09, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.
29.	श्री बुधनाथ भगत	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-02, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-03, बिलासपुर.
30.	श्री गणेश राम महेश्वरी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-04, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-03, दुर्ग.
31.	श्री तपन कुमार दास	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.
32.	श्री अगस्तुस लकड़ा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, धमतरी वृत्त, धमतरी.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, धमतरी वृत्त, धमतरी.
33.	श्री बुनेश कुमार पारधी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-02, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-03, बिलासपुर.
34.	श्री लखेश्वर प्रसाद जोशी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-05, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.
35.	श्री कृष्ण कुमार सिदार	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त, कोरिया.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त, कोरिया.
36.	श्री सौरभ ठाकुर	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-03, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-01, दुर्ग.
37.	श्री विकास चौबे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-03, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-07, रायपुर.
38.	श्री संतोष कुमार बड़गे	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-02, रायगढ़.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त-01, रायगढ़.
39.	श्रीमती मनीषा नायक	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-09, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-07, रायपुर.
40.	श्री दिनेश कुमार ध्रुव	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रवर्तन) रायपुर.	कार्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, (प्रवर्तन) रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	श्री नरेश कुमार हुरी	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-01, जगदलपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-02, जगदलपुर.
42.	श्री राहुल तिवारी	कार्यालय राज्य कर आयुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, भाटापारा वृत्त, भाटापारा.
43.	श्री भगत खेस्स	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-02, कोरबा.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त-01, कोरबा.
44.	श्री प्रियल गुप्ता	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-01, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-06, रायपुर.
45.	श्रीमती सुशीला तिग्गा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-06, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-01, रायपुर.
46.	श्री विवेक पाण्डेय	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-03, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-01, बिलासपुर.
47.	श्री सुरेश कुमार नवरत्न	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-03, बिलासपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त-02, बिलासपुर.
48.	श्री दयाशंकर नेताम	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-01, जगदलपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त-01, जगदलपुर.
49.	श्री अवधेश यादव	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-08, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-06, रायपुर.
50.	सुश्री सीमा श्रीवास्तव	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-04, रायपुर.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त-09, रायपुर.
51.	श्री अमितेश कुमार नेताम	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त, राजनांदगांव.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त, राजनांदगांव.
52.	श्रीमती पूनम खोब्रागढ़	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-01, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-03, दुर्ग.
53.	डॉ. सुनीति पैकरा	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-02, दुर्ग.	कार्यालय राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त-04, दुर्ग.

2. उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P.(S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P. (PIL) No. 91/2019 S. Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

3. उपरोक्त राज्य कर निरीक्षकों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर 28 नवम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-85/2020/वा.क. (आब.)/पांच (122).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			शासन स्तर पर भेजा जाना हो तो	40 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
2	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			शासन स्तर पर भेजा जाना हो तो	40 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
3	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (क) (शापिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	20 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			शासन स्तर पर भेजा जाना हो तो	40 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	निराकरण सीमा	35 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
5	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.4 (क) (व्यसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	निराकरण सीमा	35 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
6	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.2 (रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीनीकरण</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	15 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
7	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीनीकरण</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	15 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
8	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.3 (क) (शापिंग मॉल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) <u>नवीनीकरण</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	15 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
9	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) <u>नवीनीकरण</u>	निराकरण सीमा	30 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
10	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.4 (क) (व्यसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) <u>नवीनीकरण</u>	निराकरण सीमा	30 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
11	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.5 (प्रासंगिक अनुज्ञप्ति, विक्रय हेतु) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	05 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			आबकारी आयुक्त से अनुमोदन की स्थिति में	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
12	कलेक्टर (आबकारी)	एफ.एल.5 क (प्रासंगिक अनुज्ञप्ति, उपभोग हेतु) <u>नवीन अनुज्ञप्ति</u>	जिला स्तर पर निराकरण सीमा	05 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
			आबकारी आयुक्त से अनुमोदन की स्थिति में	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	आबकारी आयुक्त	1) आसवनी डी-1 लायसेंस (2) बोटल भराई अनुज्ञप्ति (बाटलिंग लायसेंस), एफ.एल. 9/9 क (3) यवासवनी फार्म ख-1 लायसेंस (4) वाईनरी डब्ल्यू-3 लायसेंसों (5) सी.एस. 1(क) (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	175 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
14	आबकारी आयुक्त	1) आसवनी डी-1 लायसेंस (2) बोटल भराई अनुज्ञप्ति (बाटलिंग लायसेंस), एफ.एल. 9/9 क (3) यवासवनी फार्म ख-1 लायसेंस (4) वाईनरी डब्ल्यू-3 लायसेंसों (5) सी.एस. 1(क) (नवीनीकरण)	निराकरण सीमा	30 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
15	कलेक्टर (आबकारी)	(1) एफ.एल.-1 (घघ) विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति (2) एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) विदेशी मदिरा दुकान से विदेशी व देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति (3) सी.एस.-2 (घघ) देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति (4) सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) देशी मदिरा दुकान से देशी व विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	05 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
16	आबकारी आयुक्त	सी.एस.1(ग) देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	08 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10 विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	08 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
18	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10(क) राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	14 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
19	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10 (ख) राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति (नवीन अनुज्ञप्ति)	निराकरण सीमा	14 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
20	आबकारी आयुक्त	सी.एस.1(ग) देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति (नवीनीनकरण)	निराकरण सीमा	08 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
21	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10 विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति (नवीनीनकरण)	निराकरण सीमा	08 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
22	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10(क) राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति (नवीनीनकरण)	निराकरण सीमा	14 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)

संरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	आबकारी आयुक्त	एफ.एल.10 (ख) राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट / माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञाप्ति (नवीनीकरण)	निराकरण सीमा	14 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
24	कलेक्टर (आबकारी)	विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों को अन्य राज्य से ई.एन.ए. / एल्कोहलयुक्त अन्य पदार्थों के आयात / राज्य स्थित आसवनी से ई.एन.ए. / एल्कोहलयुक्त अन्य पदार्थों के परिवहन की स्वीकृति पर आयात / परिवहन परमिट जारी करना	निराकरण सीमा	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
25	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनी से ई. एन.ए. / एल्कोहलयुक्त अन्य पदार्थों के निर्यात की स्वीकृति	निराकरण सीमा	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
26	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनियों द्वारा अन्य राज्य से आर. एस. के आयात / राज्य में स्थित आसवनी से आर.एस. परिवहन की स्वीकृति पर आयात / परिवहन परमिट जारी करना	निराकरण सीमा	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त
27	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनी से आर.एस. के निर्यात की स्वीकृति	निराकरण सीमा	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
28	कलेक्टर (आबकारी)	राज्य में स्थित आसवनी / विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयों / यवासवनियों / वाइनरी इकाई से निर्यात परमिट जारी किये जाने हेतु	निराकरण सीमा	07 दिवस	जिले का प्रभारी आबकारी अधिकारी	कलेक्टर (आबकारी)	आबकारी आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

क्रमांक/13638/भू-अर्जन/49 अ 82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	कथरीमाल प.ह.नं. 01	2.219	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

क्रमांक/13652/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	भाठीकुड़ा	0.169	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 5 अक्टूबर 2020

क्रमांक/13658/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बिरदा	0.319	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्र. क्र. 01/अ-82/2018-2019.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.107 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47	0.268
50/2	0.064
55/2	0.315
75	0.048
48	0.088
51	0.012
74	0.312
योग	07 1.107

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम आमापाली टोहिलाकुडा मार्ग में केलो नदी पर पुल निर्माण के लिये पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्रमांक/3397/वा./भू.अ./प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खमतराई, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-691.57 वर्ग मीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)
534	691.57
योग	01 691.57

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-उरकुरा-सरोना बायपास रेल लाईन पर खमतराई रेलवे ओव्हर ब्रिज का चौड़ीकरण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्रमांक/26132/नगानि/2020.—एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि पुरा विशेष क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2017 (क्र. 11 सन् 2018) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) एवं कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, द्वितीय तल, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई हैं :—

अनुसूची

पुरा विशेष क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** तहसील आरंग के ग्राम नरदहा, पचेड़ा, चंद्रखुरी, नगपुरा और संकरी की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, बड़गांव, तोड़गांव, गोढ़ी एवं खुटेरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : तहसील आरंग के ग्राम संकरी, गोढ़ी, खुटेरी, बकतरा, नकटा, कुरुद, धनसुली एवं नरदहा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : तहसील आरंग के ग्राम खुटेरी, नकटा, कुरुद, धनसुली, नरदहा एवं संकरी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, द्वितीय तल, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) को सूचना के “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त, हो तो अपर संचालक द्वारा विचार किया जावेगा।

निरीक्षण स्थल—

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.).
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, द्वितीय तल, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

No./26132/T&CP/2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps and registers for Pura Special Area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and validation) Act, 2017 (No. 11 of 2018) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. Date-28 December, 2020 during office hours in the Office of the Collector, District-Raipur (C.G.) and Office of the Joint Director Town and Country Planning, 2nd floor, RDA Building, Shastri Chowk, Raipur (C.G.). The limits of Pura Special Area are defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Pura Special Area Limits

- NORTH :** Northern limit of Village Nardaha, Pacheda, Chandkhuri, Nagpura and Sankari of Tehsil Arang.
EAST : Eastern limit of Village Sankri, Badgaon, Todgaon, Godhi and Khuteri of Tehsil Arang.
SOUTH : Southern limit of Village Sankri, Godhi, Khuteri, Bakatara, Nakta, Kurud, Dhansuli and Nardaha.
WEST : Western limit of Village Khuteri, Nakta, Kurud, Dhansuli, Nardaha and Sankri of Tehsil Arang.

If there be any objection or suggestion with, the existing land use maps and registrar so prepared to it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Additional Director.

Place of Inspection :

1. Office of the Collector, Raipur, District-Raipur (C.G.).
2. Joint Director Town and Country Planning, RDA Building, 2nd floor, Shastri Chowk, Raipur (C.G.).

संदीप बांगड़े,
अपर संचालक.
